



राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, करौली
जिला-करौली



* जाति प्रमाण-पत्र *

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

क्रमांक : RJ9/2013/Misc/Digital Caste (SC/ST)/3694

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी पुजा महामना पुत्री श्री मोहन लाल खटीक निवासी- ग्राम पो0 महोली तह0 व जिला करौली, जिला करौली राजस्थान राज्य में खटीक (36) के अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य हैं, जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अण्डमान निकोबार अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है।

पुजा महामना और इसका परिवार साधारणतः ग्राम पो0 महोली तह0 व जिला करौली राज्य संघ क्षेत्र राजस्थान के जिला करौली के निवासी हैं।

आज दिनांक 17-07-2013 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया है।
नोट

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो जन प्रतिष्ठित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिवचना सं.एक 21(37) एन.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध करवाये गये ई-दस्तावेजान के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. शर्ही द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिसे के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में विरोक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. शर्ही को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से online सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, करौली

Signature valid

Digitally signed by
MATADEEN MEENA
Date: 2013.07.17
05:05:23 GMT+05:30
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1309018010047612